



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226144
CG-DL-E-26032021-226144

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2021/चैत्र 5, 1943

No. 1252]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2021/CHAITRA 5, 1943

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2021

का. आ. 1356(अ) .—केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा दिल्ली नगर कला आयोग अधिनियम, 1973 (1974 का 1) की धारा 4 और 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अजीत पई को अध्यक्ष (अंशकालिक) तथा प्रो. (डा.) मनदीप सिंह, श्री आशुतोष कुमार अग्रवाल, श्रीमती निवेदिता पांडे और आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में अपर सचिव (डी), श्री कामरान रिज़वी को 03 अप्रैल, 2021 से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, दिल्ली नगर कला आयोग में सदस्य (अंशकालिक) के रूप में नियुक्त करती है।

2. इसे, इस मंत्रालय की दिनांक 03.04.2018 की अधिसूचना का. आ. 1539 (अ) और दिनांक 02.01.2020 के का. आ. 58 (अ) के पैरा 2 के अधिक्रमण में जारी किया जाता है।

[फा.सं. ए-11013/1/2020-डीडी II]

वी.के. कुशवाहा, अपर सचिव

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2021

S.O. 1356 (E) .—In exercise of the powers conferred by Sections 4 & 5 of the Delhi Urban Art Commission Act, 1973 (1 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Ajit Pai as Chairman (Part Time), and Prof (Dr.) Mandeep Singh, Shri Ashutosh Kumar Agarwal, Smt. Nivedita Pande and Shri Kamran Rizvi, Additional Secretary (D) in the Ministry of Housing and Urban Affairs as Members (Part -time) in Delhi Urban Art Commission, for a period of three years from 3rd April 2021 or until further orders, whichever is earlier.

2. This issues in supersession of this Ministry's Notifications vide S.O. 1539 (E) dated 3.4.2018 and para 2 of S.O. 58(E) dated 2.1.2020.

[F. No. A-11013/1/2020-DDII]

V. K. KUSHWAHA, Under Secy.